कार्यवाही विवरण

मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में स्थित खदान खसरा क्रमांक–354, 491 (पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498, कुल लीज क्षेत्र 5.04 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 04.02.2021 समय दोपहर 12:00 बजे स्थल–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में ग्राम–गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में स्थित खदान खसरा क्रमांक – 354, 491 (पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498, कुल लीज क्षेत्र 5.04 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों फाईनेंसियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली में दिनांक 02.01.2021 एवं नवभारत, रायपुर में दिनांक 02.01.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 04.02.2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में ग्राम–गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर ईस्ट विंग न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत छांटा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सेलूद, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत अचानकपुर, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत घुघवा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत राखी, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रवेली, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत लोहरसी, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत फुण्डा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मानिकचौरी, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चुनकट्टा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मुड़पार, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ढौर, जिला–दुर्ग, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में

कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त खदान की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 04.02.2021 को दोपहर 12:10 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में ग्राम–गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने परियोजना के संबंध में अपना पक्ष, सुझाव, टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री प्रेमलाल सागरवंशी, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ आप सबको मेरा अभिनंदन। मेरा विषय कच्चे रोड़ धूल डस्ट है। मैं विनम्र करता हूं कि ग्राम पंचायत गोण्डपेंड्री सेलूद, पाटन से जाने वाली रोड पर पत्थर खदान जाने वाली रोड जिसमें भारी वाहनों का आवागमन बना रहता है। उन वाहनों से उड़ने वाली धूल डस्ट से वहां आसपास निवास करने वाले लोगों को आर्थिक दिनचर्या में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों मे स्वास्थ्य संबंधी बीमारी बहुत अधिक बढ़ रहा है और बहुत अधिक दुर्घटना होने की संभावना वहां बना रहता है। हैवी माइंस जो खदान वाले वहां पत्थर के लिए लगाते हैं पूरा मकान हिल जाता है साथ में जो वाइब्रेशन होता है उससे बहुत सारी परेशानी आती है। खदान जो गहरे होते जा रहे है जो जल स्तर है धीरे – धीरे कम होते जा रहे हैं, यहां तक की तालाब का पानी तक सूख जाता है। उससे हमारे ग्रामीणों का निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो दुर्ग पाटन वाली रोड वहां इतनी धूल है कि आसपास के जो वातावरण हैं वहां बहुत सारी परेशानियां हो रही है। यहां तक की जो खाना बनाते हैं उसमें भी धूल डस्ट जमा हो जाते है इससे भी हम माइंस वालों

को अवगत कराते रहे हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से भी उनको अवगत कराते रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस विषय में ध्यान दें। आपकी असीम कृपा बनी रहेगी धन्यवाद।

2. **श्री अशोक कुमार वर्मा, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा है मैं शुरू से ग्रामपंचायत गोंडपेन्ड्री में रहता हूं। आज का जो प्रदूषण है वह बहुत ही खराब परिस्थिति में है। आज उनको पता चले की कोई अधिकारी आने वाले हैं तो पानी डाले जा रहे हैं लेकिन वो 45 सालों से क्या कर रहे थे। 45 सालों से वो क्या कर रहे थे आज पर्यावरण पर ध्याान देते है लेकिन 45 सालों से उस पर्यावरण पर ध्यान क्यों नही दिया जा रहा था। जैसा बोलते हैं हम रॉयल्टी देते है लेकिन रॉयल्टी का जो प्रतिशत है वो तो सरकार को जाता है। गांव स्तर पर क्या हो रहा है गांव के लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है और दूसरी बात है जैसा हमे इनको माइनिंग देना है तो आपसे अनुरोध है जो गांव के लोग आत हैं उसको रोजगार दिया जाए। बाहर का आदमी हमारे यहां आकर क्यों काम करे। गांव के बहुत से युवा हैं जो बेरोजगार हैं तो आपसे अनुरोध हैं गांव के आदमी को ही उसमें रोजगार दिया जाए। अधिकारी आ रहा है तो पानी छिटा जा रहा है, पर्यावरण के लिए कह रहे हैं इतने दिनों से यह लोग क्या कर रहे थे। तो आपसे अनुरोध है गांव के जितने भी आदमी बेरोजगार है सबसे पहले उनको वहां रोजगार दिया जाए। बाहर का कोई भी आदमी आकर के हमारे ग्राम गोंडपेंड्री में काम न करे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है की बाहर के आदमियों को रोजगार न दिया जाए गांव के लोगों को ही रोजगार दिया जाए। धन्यवाद

3. **श्री तोरनलाल साहू , ग्राम–गोंडपेन्ड्री जिला–दुर्ग।**

➢ मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां खदान तो बहुत सारे हैं यहां धूल–धक्कड़ इतना ज्यादा है कि पूरा गांव ढ़कता जाता है। भविष्य में गांव में कुछ भी उपजाऊ नहीं होगा। पानी कि किल्लत बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए व्यवस्था बनाई जाए। जितने गांव में बेरोजगार हैं उनकों काम में रखा जाए। यही मेरा निवेदन है धन्यवाद।

4. **श्री मिट्ठूराम जांगड़े, ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं मजदूर वर्ग का आदमी हूं। सभी काम मजदूरी में ही चलता है धान कटाई है, जो आपके खदान का काम जो चल रहा था वहां भी मैं काम कर रहा था। सभी आदमी करते थे। करते करते बुड्ढे हो गए। तो कम से कम जो गांव का खदान जो चल रहा है । 10 किलोमीटर धूल से प्रदूषण फैला रहता है । सुबह उठके जो टहले जाते है तो धुएं तो धुंए से परेशान हो जाते हैं। बाहर से जो आए उसको सही रोजगार मिल रहा है जो गांव के मजदूर हैं उसको खदान मालिक बोलते हैं 150–200 मजदूरी देंगे। बाहर के आदमी को 400 – 375 मजदूरी देते हैं गांव का जो मजदूर है उसको 12 घंटा काम करना पडेगा । शासन का जो नियम है उसमे 8 घंटे का ड्युटी दिया जाता है, बी.एस.पी. प्लाण्ट में भी 8 घंटे ड्युटी है। खदान में जाते हैं तो खदान वाले हमको खदान जाने से बोलते हैं आप कहां से आये हो कैसे आए हो। इतना मालूम है कि हम लोग गांव गोंडपेंड्री के निवासी हैं, खदान में काम खोजने के

लिए आए हैं। इतना ही नहीं समझते इन लोग मजदूर लोगों का धक्के मार के हकाल देते हैं। अभी बीच में एक सयान आदमी समान लेने गया था भरे हुए ट्रक से दबकर खत्म हो गया। उसके परिवार को क्या मिला मुश्किल से 4 लाख मिला होगा। हम लोगों ने गांव में धरना प्रदर्शन किया। इतना बड़ा अन्याय यहां होता है। गांव में जो पंचायत एनओसी देता है लालच में वो बड़ी गलती है। सियान लोग ने कहा हे तुम लोग खेती करते – करते मर जाओगे खेती नही सिरायेगा। खेती है तो हंडा है, हंडा खत्म हुआ तो इज्जत नहीं है। महिलाओं को घूमने जाने के लिए तकलीफ होती है समय–समय में ब्लास्टिंग होती है ब्लास्टिंग होने से धूल धक्कड़ से परेशान हैं हम गांव वाले क्या करें। हम लोगों का मरना तय है नही तो शासन प्रशासन हमारे गांव के सभी लोग को मारे या तो ये खदान तत्काल बंद करे वरना हम लोग गांव वाले तोड़फोड़ में आ जाएंगे। धन्यवाद

5. **श्री रामानंद निषाद , ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ आप सब अधिकारियो से मेरा निवेदन है कि हमारे गांव में खदान दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप सब हमारे गांव में जो पंडाल लगाए हैं। खदान वाले भाई और जितने भी मालिक हैं जो परियोजना की बात कर रहे हैं वह बढ़िया है। लेकिन परियोजना और जहां से खदान लीज के लिए इन लोग एप्लाई कर रहे हैं वो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर की जा रही है। जो अभी मेरे छोटे भाई बोलकर गए हैं उनसे मैं सहमत हूं वहीं मैं दोहराना चाहता हूं। इतना धूल मिट्टी है । हम लोग अभी खाना बनाकर आए हैं अगर माइंस चालू रहेगा तो उसमें एक घंटे के अंदर परत जम जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बोल रहे हो आप लोग ऐसे में हम लोग पूरे गांव वाले यही जानते है कि धूल धक्कड़ और जो आवाजाही के लिए बोले रास्ता के लिए बोले, यह सब चीज जायज है। विकास का कार्य हो यही देखकर कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी है या 4 किलोमीटर की दूरी है। उपर से तो सब आ जाता है। लेकिन परेशान गांव वाले होते हैं जो ब्लास्टिंग होती है उसमें पूरा घर झन–झना जाता है। ब्लास्टिंग जो होती है उसमें अगर मंच न हिल जाए तो बोलना आप गलत बात बोल रहे हो। ब्लास्टिंग की जगह हेण्ड ब्रेकर से काम हो, छोटी ब्लास्टिंग हो और उसका भी खदान चलता रहे यही मैं बोलना चाहूंगा। जो धूल के लिए बोले सीमेण्ट फैक्ट्री वाला जो रोड है जहां भी खदान है सब जगह वही हो रहा है यह जो कार्य कर रहे हैं हम नहीं बोलते कि उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाए। उनका भी प्रोजेक्ट चलना चाहिए। खदान वाले भाईयों से विनती है सभी सहयोग करें। गांव में जो बेरोजगार लोग हैं यहां प्रायः गांव में सभी मजदूर हैं यहां कृषि कार्य नहीं है। माइंस है, माइंस का काम सभी लोग नहीं कर पाते। बाहर से मजदूर लाते हैं इतना बड़ा माइंस चालू करेंगे तो बाहर से भी मजदूर लाना पड़ेगा उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि सोचिएगा, हमारे गांव के बारे में विचार किजिएगा, उसके बाद ही आप लोग आगे कदम उठाईगा, जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

6. **श्रीमती त्रिवेणी बंजारे, जनपद सदस्य, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं त्रिवेणी बंजारे क्षेत्र कमांक 8 से जनपद सदस्य हूं हमारे गांव में जितने भी माईनिंग वाले भाई हैं उनसे यही विनती है कि गांव में जितना भी धूल–धक्कड़ होता है।

ब्लास्टिंग करते हैं उनसे घर पूरा क्रेक हो जाता है। आसपास के घर पूरे हिल रहे हैं उसमें वो थोड़ी सावधानी बरतें, पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं तो उसके लिए सावधानी बरतें। मैं नही चाहती कि किसी का काम बंद हो हम लोगों अपनी जमीन बेची है तो उन लोगों ने खरीदा है अपना बिजनेस के लिए हमारा दबाव डालना भी सही नहीं है। लेकिन वे लोग भी थोड़ी समझदारी दिखाएं और हमारे गांव की देखरेख करते हुवे धूल–डस्ट को कंट्रोल में रखें धन्यवाद।

7. श्री निलेश कुमार गनीर, सरपंच, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।

➢ आप सबको मेरा नमस्कार। आज यहां खदान की लोक सुनवाई है। मे0 नरेन्द्र चतुर्वेदी के लिये पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन किया गया है। वर्तमान में हमारे गांव में लगभग 10 चूना पत्थर खदाने हैं जिनमें पर्यावरण संबंधी सभी पैरामीटर का पालन का नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत के द्वारा मार्च से आज वर्तमान तक पत्र दिया जाता है कि धूल है परिवहन है संबंधी ग्राम पंचायत से उनको जो दिक्कते होती है उनको पूर्ण किया जाए कि उसमें सुधार किया जाए। किंतु ग्राम पंचायत को शून्य समझा जाता है, वहां न उनका जवाब दिया जाता है न उन कार्यों का पूर्ण किया जता है फलस्वरूप गांव के नागरिकों को रोड जाम इत्यादि करना पड़ता है। जिससे ग्राम पंचायत को तकलीफ होती है वहां कि जनता को तकलीफ होती है और चूना पत्थर खदान मालिकों के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। दो दिन पानी डालते है। धूल डस्ट से बचाव के लिए उसके बाद 15 दिनों तक पानी नहीं डाला जाता जिसके कारण ग्राम पंचायत में आए दिन वाद– विवाद होते रहते हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि ग्राम पंचायत को रॉयल्टी दिया जाता है, रॉयल्टी दिया जाता है ठीक है। किन्तु जिन शर्तों पर पर्यावरण के शर्तों को उन लोग आज की परिस्थिति में क्या पूर्ण करेंगे। कहते है पर उनको भी पूर्ण नहीं करते। पर्यावरण की समस्या को दूर करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का आश्वासन देकर हम लोगों के गांव में खदान, फैक्ट्री संबंधी जो भी उद्योग का संचालन किया जाता है धूल डस्ट के रोकथाम के लिए पत्र प्रेषित किया जाता है। किन्तु आज तक कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया जो विकट समस्या है। हैवी ब्लास्टिंग इतनी ज्यादा होती है कि इससे घर हिल जाता है, कल 3 बजे इतनी हैवी ब्लास्टिंग हुई कि पूरे रोड तक उसके बारूद का सेंट आया। कपड़े सूखाने के बाद भी उसको झड़ाकर पहनने से धूल रहता है, आए दिन खदान वाले रोड की मांग करते हैं जिस एरिया में खदान संचालन करना है वहां रोड कहां से उपलब्ध कराया जाएगा, समस्या रोड़ की भी है । ग्रामीण क्षेत्र से इसकी दूरी लगभग 800 मीटर की बताई गई है 800 मीटर से डस्ट उड़कर पूरे गांव में फैलता है। प्रायः सभी खदानों मे कर्मचारी दल्लीराजहरा कहीं– कहीं से आते है। गांव के लोग ज्यादा जाते नहीं। धूल डस्ट से अस्थमा, दमा अनेक प्रकार की समस्या होती है। प्रायः सभी लोगों को एलर्जी है। गाड़ियां बहुत स्पीड से लोड़ गाडियां निकलती है, जिससे आवाजाही में समस्या होती है। गांव में एक दो व्यक्ति की मृत्यु भी जिससे हो चुकी है। मेरी यही आग्रह है जितनी भी चूना पत्थर खदान वाले हैं सभी से पर्यावरण के नियमों का पालन कराया जाए। उसके उपरांत ही इनको पर्यावरण की अनुमति दी जाए। पर्यावरण जितने भी पैरामीटर हैं सभी का पालन कराया जाए उसके बाद ही लीज दिया जाए। अन्यथा लीज न दी जाए धन्यवाद।

8. **श्री धनंजय वर्मा, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ आप सभी को तहदील से मेरा नमस्कार, गांव के बन्धुओं को मेरा नमस्कार। समस्या आज धूल डस्ट की है। मेरे कहने से अगर ये समस्या खत्म हो जाए तो मै एक बार नहीं चार बार कहुंगा मेरे कहने से खदान बंद हो जाए तो अच्छी बात है। एक किसान हूं और किसानों की समस्या बहुत विकराल है। हम बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहे हैं, खदानों की जो डस्ट होती है वह फसलों में आकर बैठ जाती है जिससे हमें फसलों को बेचने में असुविधा होती है। हमारा धान शासन द्वारा नहीं लिया जाता है कयोंकि उसमें डस्ट रहती है। मैं खदान मालिकों से कहना चाहूंगा कि पानी का फव्वारा खदानों में लगा दिया जाए। पुरानी खदानों को प्राप्त लीज में परिवर्तन की जा सकती है, खदाने जो प्रारंभ से करने की प्रकिया जो शुरू से चल रही है। मैं कहना चाहूंगा कि उन्हे स्वीकृति प्रदान न कि जाए। मेरा निवेदन है कि इसमें विचार करना चाहिए और कठोर निर्णय लेना चाहिए और पानी की भी समस्या है जो पानी खेतों की तरफ जाती उसे भी क्रशर मालिकों द्वारा बंद की दिया गया है। ऐसी कई समस्याएं भी है। आज हम लोग ही दमा के मरीज हैं। ऐसी स्थिति रही तो आने वाले सालों में पूरा गांव दमा का मरीज बन जाएगा धन्यवाद।

9. **श्री मोहन लाल साहू , ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी खदान का आपके द्वारा एक बार निरीक्षण किया जाए कि गांव एवं खदान के बीच की दूरी कितनी है या साथ ही साथ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि किसान अपनी जमीन किस मजबूरी के कारण अपनी जमीन खदान मालिकों को बेचता है न हम अपनी जमीन बेचते न ऐसी स्थिति होती कुछ जवाबदारी किसानों की भी है कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए अगर किसान अपनी जमीन बेचते भी हैं तो किसान अपना आवेदन ग्राम पंचायत में दे, खासकर माईंस क्षेत्र में धन्यवाद।

10. **श्री जगदीश राम जांगड़े, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव के किसान लोग जमीन बेच देते हैं। उस जमीन को बड़े आदमी यहां आकर ये जमीन खरीदते हैं और वातावरण को प्रदूषित करने के लिये वहां खदान खोल देते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, बच्चे मर रहे हैं, इसे कोई देखने वाला नही है। इन सबसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मजबूरी में किसानी करना पड़ता है नहीं तो जमीन बेचता है।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया, किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुए, तब अपर कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा. द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण

हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- प्रेमलाल जी ने कहा कि कच्ची सड़क पर काफी धूल उड़ती है डस्ट की रोकथाम होनी चाहिए। इसके लिए हमने परियोजना के प्रेजेंटेशन में बताया है कि धूल के लिए दिन में 3 बार पानी का छिड़काव किया जाएगा और माईंस के चारों तरफ 7.5 मीटर की परिधि पर फेंसिग करके चौड़ी पत्तों वाली वृक्षारोपण किया जाएगा। जिससे धूल ज्यादा उड़कर गांव की ओर न आए। परिवहन रोड के दोनों ओर हरित पट्टी का निर्माण किया जाएगा। चूंकि यह एक नई खदान है यदि खदान प्रारंभ हुई तो एक साल के अंदर हरित पट्टी का निर्माण किया जाएगा।

- अशोक कुमार वर्मा जी ने कहा कि गांव के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए। हमारा भी यही कहना है कि गांव के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

- तोरनलाल साहू जी ने कहा है कि पानी की किल्लत हो रही है गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। धूल की नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव एवं हरित पट्टी का निर्माण किया जाएगा। जहां तक पानी की किल्लत की बात है तो यह एक प्रस्तावित खदान है, खदान की गहराई ज्यादा नहीं कि जाएगी। जिससे भू–जल को प्रभावित करे।

- मिठ्ठूलाल जांगड़े जी ने कहा कि धूल ज्यादा होती है गांव के लोगों को काम में लिया जाए हैवी ब्लास्टिंग न हो, जो ब्लास्टिंग के लिए जो प्रपोज की गई है उसमें हैवी ब्लास्टिंग नहीं है और जो ब्लास्टिंग होगी दिन में एक ही बार की जाएगी। साथ ही हुडर की व्यवस्था होगी जिसके माध्यम से सूचना दी जाएगी कि ब्लास्टिंग होने वाली है ताकि गांव वालों को ब्लास्टिंग के पूर्व सूचना मिल जाए तथा ब्लास्टिंग अधिकृत ठेकेदार के माध्यम से सभी पैरामीटर को ध्यान में रखकर की जाएगी, ब्लास्टिंग वेट ड्रिलिंग विधि से की जाएगी जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो।

- त्रिवेणी बंजारे जी ने कहा कि हैवी ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरार आ रहे हैं। तो उसके लिए इस खदान में लाईट ब्लास्टिंग की जाएगी।

- नीलेश कुमार जी ने कहा कि खदानों से धूल की समस्या होती है, चूंकि यह एक नई खदान है और हमने बताया है कि धूल को नियंत्रित करने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा।

- धनंजय वर्मा जी ने कहा कि धूल डस्ट फसलों में बैठ जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि जल का छिड़काव नहीं किया जाता है और हरित पट्टी निर्मित नहीं कि जाती है तो ऐसा होता है चूंकि यह एक नई खदान है और हमने कहा है कि खदान प्रारंभ होने के एक वर्ष के अंदर हरित पट्टी का निर्माण किया जाएगा और आवाजाही वाली सड़कों पर भी हरित पट्टी का निर्माण किया जाएगा, पानी का छिड़काव तीन बार किया जाएगा ताकि डस्ट उत्सर्जन न हो।

- ❖ मोहनलाल साहू जी ने कहा कि खदान के पास खदान के पास जाकर देखा जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि खदान को प्रारंभ होने के पश्चात् शर्तों का Compliance report भेजी जाएगी।

- ❖ जगदीश राम जांगड़े जी ने कहा कि पैसे वाला आदमी जमीन खरीद लेता है जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति की जो शर्तें होती है उनको ध्यान में रखकर ही खदान चलाई जाएगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 05 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 10 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 43 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर **02.00** बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अपर कलेक्टर
जिला–दुर्ग